तत्काल

दूरभाष:-24361852
24366794
24368158

संख्या - 6/1/2014-हिंशियो.(मु)/ 5709

भारत सरकार
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)
Government of India
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs
Hindi Teaching Scheme (HQ)

स्पीड पोस्ट

7वां तल, पर्यावरण भवन,
सी जी ओ कांप्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
7th Floor, Paryavaran Bhavan,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003

दिनांक/Dated : 29 DEC 2014

सेवा में

उप निदेशक
(मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी ।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2015-16 हेतु लक्ष्य निर्धारण ।

महोदय,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में जुलाई, 2015 से हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा अगस्त, 2015 से हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रथम सत्र प्रारंभ होगा । दूसरा सत्र जनवरी,2016 से हिंदी प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ तथा फरवरी,2016 से हिंदी टंकण एवं आशुलिपि का प्रारंभ होगा । वित्तीय वर्ष में इन पाठ्यक्रमों के दो सत्र होते हैं । केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों में गहन हिंदी प्रशिक्षणरत सहायक निदेशकों (भाषा) की गहन हिंदी कक्षाओं में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कक्षाओं में दाखिला नहीं हो पा रहा है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि उप संस्थान-कोलकाता,चेन्नै,हैदराबाद और बेंगलूर के 02-02 सहायक निदेशक(भाषा) तथा चेन्नै का एक सहायक निदेशक (भाषा) (जो कि वर्तमान में पुदुचेरी में तैनात है), जनवरी, 2015 से प्रारंभ होने वाले सत्र से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की कक्षाओं का संचालन करेंगे । इन उप संस्थानों में कार्यरत जो-जो सहायक निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जनवरी,2015 से प्रारंभ होने वाले सत्र से कक्षाओं का गठन करेंगे - उनके बारे में अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं। कक्षाओं का गठन तथा संचालन सहायक निदेशकों (भाषा), सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि), हिंदी प्राध्यापकों और अंशकालिक प्रशिक्षकों/अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा ।

जारी किया
ISSUED
29/12/14

....2/-

2. वर्ष 2015-16 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र	निर्धारित लक्ष्य								
	हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ			हिंदी टंकण			हिंदी आशुलिपि		
	पूर्णका.केंद्र	अंशका.केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका.केंद्र	योग	पूर्णका.केंद्र	अंशका.केंद्र	योग
मध्योत्तर	2080	-	2080	1300	-	1300	600	-	600
दक्षिण	12220	-	12220	520	-	520	240	-	240
पूर्व	7280	40	7320	260	40	300	120	-	120
पश्चिम	6500	80	6580	520	-	520	240	-	240
पूर्वोत्तर	1560	20	1580	130	20	150	60	-	60
योग	29640	140	29780	2730	60	2790	1260	-	1260

दर्शाई गई उक्त तालिका में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हर सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को प्रत्येक सत्र में कम से कम 65 प्रशिक्षार्थी हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की नई कक्षा के 30 प्रशिक्षार्थी और पुरानी कक्षा के 30 प्रशिक्षार्थी (कुल 125 प्रशिक्षार्थी) प्रशिक्षित करना अनिवार्य है । इसी प्रकार हिंदी प्राध्यापकों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की तीनों कक्षाओं में प्रति सत्र कम से कम 130 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित करना अनिवार्य है ।

3. वर्ष 2015-16 के लिए हिंदी शिक्षण योजना के पाँचों क्षेत्रों में हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ प्रशिक्षण हेतु प्रथम छमाही के लिए क्षेत्रवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र का नाम	हिंदी भाषा के लिए निर्धारित लक्ष्य (पूर्णकालिक +अंशकालिक)
मध्योत्तर	1040
दक्षिण	6110
पूर्व	3660
पश्चिम	3290
पूर्वोत्तर	790
योग	**14890**

4. वर्ष 2015-16 के लिए हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की प्रथम छमाही के लिए पूर्णकालिक एवं अंशकालिक केंद्रों के लिए क्षेत्रवार निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

क्षेत्र का नाम	हिंदी टंकण (पूर्णकालिक +अंशकालिक)	हिंदी आशुलिपि (पूर्णकालिक +अंशकालिक)
मध्योत्तर	650	300
दक्षिण	260	120
पूर्व	150	60
पश्चिम	260	120
पूर्वोत्तर	75	30
योग	**1395**	**630**

5. उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सभी कक्षाओं में दाखिला लक्ष्यों के अनुरूप हो । कक्षाओं के गठन के समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार कक्षाओं का गठन किया जाए । जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर कक्षाओं का नामांकन कम हुआ है, उन कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए जाएं । **प्रयास करने पर भी यदि नामांकन में वृद्धि न हो पाई हो या होने की संभावना न हो तो ऐसे केंद्रों के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय उप निदेशक अपना विश्लेषणात्मक अभिमत भी** भेजें कि किन कारणों से इन केंद्रों में नामांकन कम हुआ । ऐसे पूर्णकालिक केंद्रों के बदले **अंशकालिक केंद्र खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जाए । वर्ष 2015-16 के दोनों सत्रों की उपलब्धि की समीक्षा भी की जाए । अगर लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उसके कारण ज्ञात कर विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए और भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किए जाएं ।** यदि प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उस प्रशिक्षण केंद्र को अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र में यथाशीघ्र परिवर्तित करने तथा प्राध्यापक को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए, जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कार्य हो, समुचित प्रस्ताव भेजे जाएं । **इसी तरह की समीक्षा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी अत्यावश्यक है ।**

6. उल्लेखनीय है कि निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम है । अत: कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि केवल न्यूनतम लक्ष्यों की ही प्राप्ति न की जाए अपितु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया जाए ।

7. आपके क्षेत्र में जो पूर्णकालिक या अंशकालिक केंद्र बंद पड़े हैं, उन्हें पुन: चालू करने की संभावनाओं का पता लगाकर यदि संभव हो तो उन्हें पुन: चालू करने की कार्रवाई की जाए । प्रशिक्षण कार्य में गति लाने के लिए उप निदेशक स्वयं समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें और प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान भी निकालें । कक्षाओं का आबंटन इस प्रकार किया जाए कि सभी सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापकों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके ।

8. सत्र के प्रारंभ में संपर्क अधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाना तथा लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना कक्षा के गठन कार्य में बहुत उपयोगी होगा । अत: इस दिशा में भी कार्रवाई की जाए ।

9. अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा वहाँ पर तैनात अनुदेशकों का मार्गदर्शन भी किया जाए । ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कार्य अनुभवी सहायक-निदेशकों को सौंपा जाए, जो नियमित रूप से उनको यथोचित दिशा-निर्देश दे सकें ।

10. कृपया इस बात के भी विशेष प्रयास किए जाएं कि जहां पर पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना संभव न हो वहाँ आवश्यकतानुसार अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कार्रवाई की जाए।

.....4/-

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक सत्र में कक्षाओं के गठन के बाद अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की नामांकन स्थिति केंद्रवार सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक/अनुदेशकवार **प्रथम सत्र की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2015 तक तथा द्वितीय सत्र की रिपोर्ट 10.03.2016 तक अवश्य भेजने का कष्ट करें । साथ ही, प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर मासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।** जिन कक्षाओं में कम नामांकन हुआ हो, उन कक्षाओं को अन्य दूसरी कक्षाओं में मिलाने के अनुदेश दें और ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे कि कक्षाओं में नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप हो सके । **साथ ही, सभी उप निदेशक अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्टें तथा अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्टें यथासमय मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।**

यह पत्र निदेशक (संस्थान) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

23/7/14

(भूपिन्दर सिंह)
उप निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
5. सहायक निदेशक (भाषा-। एवं ।।), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।